कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश

171, पुराना मम्फोर्डगंज, प्रयागराज

दूरभाष-0532-2642999, 0522-2306777

प्रेस नोट

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की फुटकर दुकानों की ई-लॉटरी का प्रथम चरण एन.आई.सी. के प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

- **देशी मदिरा की 15906 दुकानों, 9341 कम्पोजिट शॉप्स, भांग की 1317 दुकानों तथा 430 मॉडल शॉप्स का व्यवस्थापन हुआ।**

लखनऊ दिनांक 06 मार्च, 2025

देशी मदिरा की **16052** दुकानों, **9362** कम्पोजिट शॉप्स, भांग की **1459** दुकानों तथा **435** मॉडल शॉप्स के व्यवस्थापन हेतु प्रथम चरण की ई-लॉटरी दिनांक 06.03.2025 को प्रदेश के 75 जिलों में एन.आई.सी. राज्य स्तरीय इकाई एवं जिला स्तरीय इकाईयों के विशेषज्ञों के तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन में सम्पादित की गई। इसमें देशी मदिरा की **15906** दुकानों, **9341** कम्पोजिट शॉप्स, भांग की **1317** दुकानों तथा **430** मॉडल शॉप्स का व्यवस्थापन हुआ। इन दुकानों के व्यवस्थापन से लगभग रूपया **4278.8** करोड़ की लाइसेंस फीस राज्य सरकार को प्राप्त होगी। देशी मदिरा की व्यवस्थित हुई दुकानों में लगभग **75.80** करोड़ बल्क लीटर कोटा व्यवस्थित हुआ। ई-लॉटरी के प्रथम चरण के उपरांत बची हुई देशी मदिरा की **146, 21** कम्पोजिट शॉप्स, भांग की **142** दुकानों तथा **05** मॉडल शॉप का व्यवस्थापन ई-लॉटरी के द्वितीय चरण में संपन्न कराया जायेगा। आज दिनांक 06.03.2025 को संपन्न हुए ई-लॉटरी के प्रथम चरण के अनंतिम आवंटियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने आवंटनादेश संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से कल दिनांक 07.03.2025 को संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं तथा आवंटित दुकान से संबंधित निर्धारित देयताएं अनिवार्य रूप से दिनांक **12.03.2025** तक जमा करना सुनिश्चित करें।